(7)[1]म.प्र. किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979[2]

अतः राज्य सरकार की यह राय है कि मध्य प्रदेश राज्य में किरोसिन की पूर्ति को बनायें रखने, उसके साम्य वितरण तथा उचित मूल्य की दूकानों पर उसकी उपलभ्यता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है;

अतएव भारत सरकार, उद्योग एवं सिविल पूर्ति मंत्रालय (सिविल पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) आदेश क्रमांक एस.ओ. 681 (ई), दिनांक 30 नवम्बर 1974 के साथ पठित अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधि. सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

[3](क) **''व्यापारी''** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किरोसिन के क्रय विक्रय या विक्रय के लिएसंग्रहण का कारबार, चाहे थोक व्यवहारी आंशिक थोक व्यवहारी या फुटकर विक्रेता के रूप में और चाहे किसी अन्य कारबार के साथ संयुक्ततः अथवा पृथकतः करता है और उसके अंतगेत उसका प्रतिनिध या अभिकर्ता शामिल है किंतु उसके अंतर्गत ऐसी तेल कंपनियाँ जो इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा ऐसे संग्रहण डिपों या संस्थापनाएँ जहां से साधारण जनता को कोई विक्रय नहीं किया जाता है, शामिल नहीं है;

(ख) **''संचालक''** से मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक पूर्ति, का संचालक अभिप्रेत है;

(ग) **''प्ररुप''** से इस आदेश से संलग्न प्ररुप, अभिप्रेत है;

(घ) **''किरोसिन''** का वही अर्थ होगा जो कि कंद्रीय उत्पाद शुल्क ओर नमक अधिनियम 1944 (1944 का अधिनियम सं. 1) की प्रथम अनुसूची की मद क्रमांक 7 में उसके लिए दिया गया है और इसमें अंतर्गत विमान चलाने वाला ईंधन नहीं आवेगा।

(ङ) **''अनुज्ञप्ति''** से इस आदेश के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति आशयित है तथा अभिव्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(च) **''अनुज्ञापन प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर जो उस क्षेत्र पर जिसमें कि व्यापारी अपना कारबार करता है, अधिकारिता रखता है तथा उसके अंतर्गत ऐसाअधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किए गए किसी क्षेत्र के लिए इस आदेश के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी की समस्त या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस बारे में नियुक्त करें;

(छ) **''तेल कंपनी''** से आशय है आदेश से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तेल का वितरण करने वाली कंपनी से है।

1. क्रमांक 7547-4961-XXX-II-79 भोपाल दिनांक 19-12-79 द्वारा जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 22.2.1980 में पृष्ठ 310-15 पर प्रकाशित।
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-10-6/2002/ खाद्य//29/262 दिनांक 1.2.2002, विधियों का अनुकूल आदेश 2002 से नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से शब्द '' मध्य प्रदेश'' के स्थान पर '' छत्तीसगढ़ '' प्रतिस्थापित कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू।
3. म.प्र. राजपत्र 1 दिनांक 22.8.80 में प्रकाशित, अधिसूचना क्रमांक 4836-2424-29.1.80 दिनांक 11.8.80 द्वारा यथा संशोधित।

Scanned by CamScanner

(ज) **''फुटकर व्यवहारी''** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यवहारी जो थोक व्यवहारी या आंशिक थोक व्यवहारी नहीं है ;

(ज-1)**''आंशिक थोक व्यवहारी''** से कोई ऐसा व्यवहारी जो किरोसिन का क्रय किसी थोक व्यवहारी से करता है और उसका विक्रय अन्य फुटकर व्यवहारी को करता है, आशयित है।

(झ) **''राज्य सरकार''** से मध्य प्रदेश सरकार आशयित है;

(ञ) **''थोक व्यवहारी''** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यापारी जो किरोसिन का क्रय किसी तेल कंपनी से करता है और उसका विक्रय आंशिक थोक व्यवहारियों या फुटकर व्यवहारियों को किसी भी परिणाम में अथवा थोक उपभोक्ताओं को संव्यवहार में 18.5 लीटर या उससे अधिक मात्रा में करता है।

3. व्यापारियों का अनुज्ञापन— (1) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी की गयी अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही किरोसिन व्यापारी के रुप में कारबार करेगा अन्यथा नहीं।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस आदेश के आरंभ होने की दिनांक को किरोसिन व्यापारी के रुप में कारबार में लगा हो, ऐसे आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेगा।

4. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र— (1) अनुज्ञप्ति के लिए या उसके नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र प्रारुप ''क'' में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के तीस दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास पहुँच जाये तथा किसी भी दशा में उक्त दिनांक के 15 दिन के बाद न पहुँचे।

5. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना— इस आदेश के अधीन जारी पुनः जारी या नवीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररुप ''ख''' में होगी।

6. अनुज्ञप्ति की अवधि तथा प्रभार्य फीस— (i) इस आदेश के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति व्यापारी द्वारा आवेदन किए जाने पर तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए जारी, पुनः जारी या नवीकृत की जा सकेगी और उसके जारी किए जाने या अंतिम बार नवीकृत किए जाने की दिनांक के बाद उस वर्ष की 31 दिसम्बर को समाप्त हो जाएगी जिस वर्ष के लिए वह मंजूर या नवीकृत की गयी हो, जब तक कि उसे इसके पूर्व ही निलंबित या प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो।

(ii) इस आदेश के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने या नवीकृत किए जाने के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी—

(क) थोक विक्रेता और आंशिक थोक विक्रेता		(ख) फुटकर विक्रेता—	
(एक) एक वर्ष के लिए	तीन रुपये	(एक) एक वर्ष के लिए	पाँच रुपये
(दो) दो वर्ष के लिए	पचपन रुपय	(दो) दो वर्ष के लिए	दस रुपये
(तीन) तीन वर्ष के लिए	अस्सी रुपये	(तीन) तीन वर्ष के लिए	पंद्रहरुपये

(iii) कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए एक पृथक अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

(iv) कोई भी व्यक्ति किसी एक ही स्थान पर कारबार करने के लिए थोक विक्रेता, आंशिक थोक विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति एक साथ धारण नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना— यदि इस आदेश के अधीन जारी की गयी कोई अनुज्ञप्ति गुम हो जाय या नष्ट हो जाय या विरुपित हो जाये या फट जाये या अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए तत्काल आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे, खंड 6 के अधीन

Scanned by CamScanner

विहित फीस का भुगतान किए जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्ति की ऐसी प्रत्येक दूसरी प्रति पर '' दूसरी प्रति'' की मुहर अंकित की जायेगी।

8. अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने की शक्ति— अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरांत और लेखबद्ध किए गए कारणों से अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा।

9. निर्देशों का पालन— किरोसिन के क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण और व्ययन के संबंध में समय-समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक या राज्य सरकार द्वारा लिखित रुप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दिए किसी निर्देश के अनुज्ञप्तिधारी पूरा करेगा।

टिप्पणी

अभियुक्त को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7-क(1) के अन्तर्गत म.प्र. केरोसीन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश 1979 के खंण्ड 9 व 15 के उल्लंघन के लिए दायी ठहराया गया था। प्रश्नगत मामले में स्टॉक रजिस्टर रखा गया था और जब इसकी मांग की गई थी इसको प्रस्तुत किया गया था। मामले के अभिलेख पर स्टॉक रजिस्टर था। म.प्र. उच्च न्यायालय ने म.प्र. केरोसीन व्यापारी अनुज्ञप्ति की 1979 की शर्त क्रमांक 3(2) व 10 का उल्लंघन होना नहीं पाया। परिणामतः अभियुक्त को म.प्र. केरोसीन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश 1979 के खंण्ड 9 व 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7-क के तहत दोषी नहीं माना गया। **(अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1999 (1) म.प्र. वी.नो. 57 म.प्र.)**

10. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण अथव निलंबन— इस आदेश के अधीन जारी अनुज्ञप्ति का धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई भी अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति के किन्हीं भी निबंधनों या शर्तों या इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि कोई ऐसा अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति उक्त निबंधनों या शर्तों या उपबंधों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द या निलंबित किया जा सकेगाः

परंतु यह कि इस खंड के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

11. अनुज्ञप्तिधारी की दोषसिद्धि पर अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकेगा— खंड 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि अनुज्ञप्तिधारी को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 3 के अधीन किरोसिन के संबंध में दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करने के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगाः

परंतु यह दोषसिद्धि कि यदि किसी अपील या पुनरीक्षण में स्थिर नहीं रहती है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गयी हो, प्ररुप ''क'' में आवेदन किए जाने पर उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुनः जारी कर सकेगा।

12. अन्यथा उपबंधित को छोड़कर साधारण स्याही से कंपोज करे— जहां इस आदेश के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गयी हो, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को मूल अनुज्ञप्ति रद्द की जाने की दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि तक कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेगा।

13. प्रतिभूति का जमा किया जाना— (1) इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी उसे अनुज्ञप्ति जारी की जाने के पूर्व इस आदेश के उपबंधों को या उन शर्तों का जिनके कि अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी हो, सम्यक रुप से पालन करने के लिए प्रतिभूति की निम्नलिखित रकम अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास जमा करेगा—

Scanned by CamScanner

प्रतिभूति निक्षेप की रकम

थोक विक्रेता के लिए	500.00 रुपये
आंशिक थोक विक्रेता के लिए	500.00 रुपये
फुटकर विक्रेता	100.00 रुपये

(2) उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट की गयी प्रतिभूति की रकम संचालक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए गए स्वरुप में होगी।

14. प्रतिभूति निक्षेप की रकम का समपहरण— (1) खंड 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण आवश्यक हो गया है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गयी संपूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को आदेश द्वारा समपहृत कर सकेगा और उस आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा।

(2) यदि प्रतिभूति की रकम किसी भी समय खंड 13 में विनिर्दिष्ट रकम से कम हो जाये तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर प्रतिभूति की उतनी और रकम तुरंत जमा करेगा, जिससे कि रकम की पूर्ति हो जाये।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त दायित्वों का सम्यक रुप से पालन किए जाने पर प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग जो पूर्वोक्तानुसार समपहृत न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जायेगा।

15. जानकारी मंगाने की शक्ति— प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, यदि उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों या अनुज्ञापन प्राधिकारी यासंचालक द्वारा जारी किए गए सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा अपेक्षा की जाये, अपने कारबार से संबधित ऐसे बहीखाते, लेखे तथा अभिलेख रखेगा और उसे या इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी भी व्यक्ति को अपने कारबार से संबंधित ऐसे विवरण तथा जानकारी, जिसमें इस आदेश के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किरोसिन से संबंधित विवरण या जानकारी शामिल है, प्रस्तुत करेगा, जो कि अध्यपेक्षा में वर्णित की जावे।

16. अपील— (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति प्रदान करने, उसे पुनः जारी करने या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या उसे निलंबित करने या इस आदेश के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति को समपहृत करने संबंधी किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश उसके द्वारा जब्त किए जाने की दिनांक से 30 दिन के भीतर संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(2) इस खंड के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

(3) अपील का निराकरण होने तक संभाग का आयुक्त या अपर आयुक्त यह निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञप्ति को नवीकृत करने से इंकार करने संबंधी आदेश या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या निलंबित करने संबंधी आदेश या प्रतिभूति को समपहृत करने संबंधी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील का निराकरण नहीं हो जाता है।

17. पुनरीक्षण— राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी व्यथित पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले के अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी जाँच कर सकेगी तथा उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जेसी कि वह उचित समझेः

Scanned by CamScanner

परंतु यह कि वह किसी भी आदेश में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगी या उसे तब तक नहीं उलटेगी, जब तक प्रस्तावित आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो :

परंतु यह और भी कि पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध आवेदन किया गया हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे प्रस्तुत न किया गया हो।

18. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियाँ— (1) कोई अधिकारी—

(i) राजस्व विभाग का जो नायब तहसीलदार के पद से निम्न पद का न हो;

(ii) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जो सहायक खाद्य एवं सिविल पूर्ति निरीक्षक से पद से निम्न पद का न हो ;

(iii) पुलिस विभाग का जो उप निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो;

(iv) परिवहन विभाग का जो उप निरीक्षक के पद का न हो इस बाबत राज्य शासन द्वारा अधिकृत हो—

(क) ऐसे किसी भी स्थान या परिसर, वाहन या जलयान में, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे तोड़कर खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा, जिसके कि संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के उपबंधों का या उसके अधीन जारी की गयी किसी भी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाने वाला है,

(ख) किसी भी ऐसे परिसर, वाहन या जलयान के, जिसके कि संबंध में उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी या उसके प्रभारी किसी भी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे बही खाते, हिसाब तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करें जो ऐसे उल्लंघन से, संबंधित संव्यवहार दर्शाते हों,

(ग) ऐसे उल्लंघन संबंधी संव्यवहार दर्शाने वाले किन्हीं दस्तावेजों, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, से उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियाँ लेगा या लिखाएगा,

(घ) इस आदेश के उपबंधों या उसके अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन कर संग्रहण किए गए किरोसिन के स्टाक की तथा उक्त किरोसिन को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी लेगा, उनका अभिग्रहण करेगा ओर उन्हें हटायेगा उसके पश्चात इस प्रकार अभिग्रहण किए गए किरोसिन के स्टाक और पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और उन्हें प्रस्तुत किए जाने तक उनको सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा या उठाने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) ऐसे वाहन या पशु या परिसरों का, जिसकी कि उपखंड (1) के उपबंधों के अधीन तलाशी की गयी हो या जिसकी तलाशी ली जानी हो, प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति (उसके अभिकर्ता और सेवक सहित), माँग करने वाले प्राधिकारी को ऐसे परिसर, वाहनों, या पशुओं को देखने देगा और उससे पूछे गए सभी प्रश्नों का ईमानदारी और उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उत्तर देगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 100 के उपबंध जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है, यथासंभव इस खंड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहणों पर लागू होंगे।

टिप्पणी

अधिसूचना जिसका प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-1980 किया गया के

Scanned by CamScanner

द्वारा मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के खंड 18 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने निम्न अनुसूची के स्तम्भ (2) से विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों को कथित खंड की शक्तियों को उनके (अनुसूची के) तत्स्थानी स्तम्भ (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार की सीमा के अंदर, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

क्रमांक (1)	पदाधिकारी (2)	क्षेत्राधिकारी (3)
1.	संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति म.प्र.	संपूर्ण राज्य मे
2.	उपसंचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति म.प्र.	संपूर्ण राज्य में
3.	सहायक संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति म.प्र.	संपूर्ण राज्य मे
4.	संभाग के आयुक्त	उनके संबंधित संभागों की सीमा के अंतर्गत
5.	कलेक्टर	उनके संबंधित जिलों की सीमा के अंतर्गत
6.	अतिरिक्त कलेक्टर	उनके संबंधित जिलों की सीमा के अंतर्गत
7.	सहायक कलेक्टर	उनके संबंधित जिलों की सीमा के अंतर्गत
8.	उपकलेक्टर	उनके संबंधित जिलों की सीमा के अंतर्गत
9.	अनुविभागीय अधिकारी	उनके संबंधित अनुविभागों की सीमा के अंतर्गत
10.	खाद्य अधिकारी/खाद्य नियंत्रक	उनके अपने संबंधित जिलों की सीमा के अंतर्गत
11.	तहसीलदार	उनके अपनी तहसीलों की सीमा के अंतर्गत
12.	नायब तहसीलदार	उनके अपने क्षेत्राधिकार की सीमा के अंतर्गत
13.	सहायक खाद्य अधिकारी/सहायक खाद्य नियंत्रक	उनके अपने जिलों की सीमाओं के अंतर्गत
14.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक	उनके अपने जिलों की सीमाओं के अंतर्गत
15.	सहायक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक	उनके अपने जिलों की सीमाओं के अंतर्गत
16.	सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा (जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से ऊँचे स्तर के हों)	अपने-अपनेक्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत
17.	क्षेत्रीय परिवहन निरीक्षण (जो पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के हों)	अपने-अपनेक्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत
18.	परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक (पुलिस उप-निरीक्षक की श्रेणी के)	अपने-अपनेक्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत
19.	संभाग के अतिरिक्त आयुक्त	अपने-अपनेक्षेत्राधिकार की सीमाओं के अंतर्गत

19. छूट— राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

[1]प्ररुप "क"

[खंड 4 देखिए]

मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाने या

1. अधिसूचना क्रमांक 4836-2424 उन्तीस-एक दिनांक 18 अगस्त 1980 द्वारा यथा संशोधित। म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 22-8-80 पृष्ठ 2193-94 पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

उसके नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररुप।

प्रति,

कलेक्टर तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी

1. नाम जिस पर अनुज्ञप्ति अपेक्षित है ....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में ....
3. पिता का नाम ....
4. आवेदक का पूरा पता ....
5. स्वामी/स्वामियों/भागीदार/भागीदारों का/के नाम तथा पता/पते..
6. उस स्थान अर्थात दुकान का पूरा पता, जहां कारबार चलाया जाना है ....
7. किरोसिन का संग्रहण करने के स्थान/स्थानों का पूरा पता ....
8. आवेदित अनुज्ञप्ति का प्रकार, अर्थात थोक, आंशिक थोक या फुटकर ....
9. आवेदक कितने समय से किरोसिन का व्यापार कर रहा है ....
10. पिछले वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए किरोसिन की मात्राएँ ....
11. किरोसिन का व्यापार करने के लिए नगर पालिका से प्राप्त अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, का क्रमांक..
12. आवेदन करने की तारीख की आवेदक के कब्जे में किरोसिन की मात्रा ....
13. मद 11 में विनिर्दिष्ट की गयी विशिष्टियों को छोड़कर अनुज्ञप्ति की, अन्य कोई विशिष्टियाँ, यदि कोई हों ....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किरोसिन की ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा, आज की तारीख को मेरे कब्जे में है और वह ऊपर उल्लिखित स्थानों में रखी हुई है।

मैंने/हमने मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 से संलग्न प्ररुप ''ख'' में दी गयी अनुज्ञप्ति की शर्तों की सावधानी से पढ़ा है तथा उसका पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ/ हम सहमत हैं।

मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार रहा है।

मैं/हम, मुझे/हमें तारीख................. को जारी की गयी अनुज्ञप्ति क्रमांक ...... तारीख .... के नवीनीकरण के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

....

स्थान तथा तारीख

....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररुप ''ख''

(खंड 5 देखिए)

मध्य प्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के अधीन किरोसिन का क्रय-विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण के लिए अनुज्ञप्ति।

(थोक/आंशिक) थोक/फुटकर कारबार के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

जारी की जाने की तारीख ....

अनुज्ञप्ति फीस ....रुपये का भुगतान किया गया।

1. मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए को (थोक/आंशिक) थोक/फुटकर विक्रेता के रुप में किरोसिन का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण करने के लिए (नाम) .... को

Scanned by CamScanner

एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

2. (ब) अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त कारबार निम्नलिखित स्थान (स्थानों) पर करेगा—

(भ) अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिए किरोसिन का संग्रहण निम्नलिखित स्थान (स्थानों) पर करेगा—

टिप्पणी— यदि अनुज्ञप्तिधारी, ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न किसी भी स्थान पर किरोसिन का संग्रहण करे, तो वह ऐसे संग्रहण की सूचना संग्रहण किए जाने से 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी को देगा और अपने अनुज्ञप्ति में आवश्यक प्रविष्टियाँ कराने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा।

3. (एक) अनुज्ञप्तिधारी उन स्थिति को छोड़कर जब कि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से छूट दी गयी हो, निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा—

स्टाक रजिस्टर

(अंक लीटरों में)

तारीख	प्रारंभिक अतिशेष	(प्राप्ति का स्थान तथा स्त्रोत दर्शाते हुए) तारीख को प्राप्त किरोसिन की मात्रा	कालम 2 तथा 3 का योग	स्थानीय ऋण, से विक्रय की गयी मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

गंतव्य स्थान दर्शाते हुए अन्य स्थानों का भेजी गयी मात्रा	अंतिम अतिशेष	टिप्पणियाँ यदि कोई हों	व्यापारी/एजेंट के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)

2. विक्रय रजिस्टर

तारीख	क्रमांक	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा लीटरों में	प्रभारित कीमत	क्रेता के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन का अपना लेखा अंतोगत्वा अगले दिन का संव्यवहार शुरु होने के पूर्व पूरा कर लेगा, जब तक कि ऐसा कर पाने से निवारित होने की कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद न हो और ऐसा कोई कारण था, यह साबित करने का उत्तरदायित्व उस पर ही होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, मध्य प्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

Scanned by CamScanner

5. अनुज्ञप्तिधारी किरोसिन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी— (एक) किरोसिन का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण संबंधी ऐसा कोई भी संव्यवहार सट्टेबाजों की रीति में नहीं करेगा जिससे बाजार में किरोसिन की सहज उपलब्धता तथा पूर्ति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(दो) सामान्यतः विक्रय के लिए रखे गए किरोसिन का विक्रय नहीं रोकेगा।

(तीन) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इस संबंध में सशक्त किए गए किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी परिक्षेत्र में किरोसिन का विक्रय ऐसे परिक्षेत्र में बिक्री के लिए निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर किरोसिन का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए पेश नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी किरोसिन के आरंभिक स्टाक तथा वह कीमत जिस पर किरासिन का विक्रय किया जाना है अपने कारबार के परिसर के किसी प्रमुख स्थान पर प्रतिदिन देवनागरी में प्रदर्शित करेगा।

8. (एक) अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा में को छोड़कर जबकि राज्य सरकार या संचालक द्वारा इस संबंध में विशेष रुप से छूट दी गयी हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति एक सही रसीद या बीजक देगा जिसमें अपना स्वयं का नाम, पता और ग्राहक का नाम, पता और अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो), संव्यवहार की तारीख, विक्रय की गई मात्रा, प्रभारित दर और कुल कीमत लिखी रहेगी और उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा माँग की जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी शर्त 8(एक) में निर्दिष्ट रसीदों या बीजकों के प्रतिपर्ण या प्रतिलिपि पुस्तक के रुप में रखेगा, जो निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित प्ररुप में सही साप्ताहिक विवरणी अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा, जिससे कि वह आगामी सोमवार को उसके पास अवश्य पहुँच जाये और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अनुदेशों का भी पालन करेगा जो किरोसिन का क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण तथा उसके व्ययन क संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए जाएँ—

(क) सोमवार को किरोसिन का प्रारंभिक अतिशेष।

(ख) सप्ताह के दौरान प्राप्त किरोसिन।

(ग) प्राप्ति का स्थान तथा स्त्रोत।

(घ) कालम (क) तथा (ख) का योग।

(ङ) सप्ताह के दौरान विक्रय किए गए किरोसिन की कुल मात्रा।

(च) शनिवार को अंतिम अतिशेष।

(छ) टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, (इस कालम में विक्रय की गयी किंतु परिदत्त न की गयी मात्रा के ब्यौरे उसके कारणों सहित उपदर्शित किए जाएँ।)

10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, या राज्य सरकार या संचालक को, अपनी किसी भी दुकान, माल गोदाम या अन्य किसी स्थान पर, जिसे किरोसिन के संग्रहण, विक्रय या क्रय के लिए उपयोग में लाया गया हो, अपने स्टाक तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिए तथा परीक्षण के लिए किरोसिन के नमूने लेने हेतु सभी उचित समयों पर समस्त सुविधाएँ देगा।

11. नवीकरण के आवेदन-पत्र के साथ यह अनुज्ञप्ति संलग्न की जायेगी।

12. यह अनुज्ञप्ति.................................. तारीख तक विधिमान्य होगी।

Scanned by CamScanner

स्थान............

तारीख..........

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नवीकरण का पृष्ठांकन

1. .... तारीख तक के लिए नवीकृत की गई। अनुज्ञापन प्राधिकारी
2. .... तारीख तक के लिए नवीकृत की गई। अनुज्ञापन प्राधिकारी
3. .... तारीख तक के लिए नवीकृत की गई। अनुज्ञापन प्राधिकारी
4. .... तारीख तक के लिए नवीकृत की गई। अनुज्ञापन प्राधिकारी
5. .... तारीख तक के लिए नवीकृत की गई। अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची

(खंड 2 का उपखंड (छ) देखिए)

तेल कंपनियाँ

1. इंडियन आइल कार्पोरेशन लिमिटेड।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड।
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (विभाग मार्केट यूनिट)।
4. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड।
5. इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कपंनी लिमिटेड।
6. असम आइल कंपनी लिमिटेड।

टिप्पणी

(1) प्रवेश व तलाशी हेतु अधिकारियों की नियुक्ति।
(2) सहकारी समितियों को खंड 13 से मुक्ति।
(3) खेरची दुकानदारों को आदेश की अप्रयोज्यता।
(4) उचित मूल्य की दुकानों (शासकीय) में नियोजित व्यक्तियों पर अप्रयोज्यता।
(5) संदेह का लाभ।
(6) अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन।
(7) पंचसाक्षी।
(8) अभियुक्त द्वारा केरोसिन तेल का विक्रय अप्रमाणित-प्रभाव।

(1) प्रवेश तलाशी एवं जब्ती हेतु अधिकारियों की नियुक्ति— म.प्र. केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 का खंड 18 प्रवेश, तलाशी अधिग्रहण आदि के संबंध में हैं। म.प्र. शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अधिसूचना क्रमांक 7549-4961-29-ii-79 दिनांक 19.12.1979 के द्वारा (जिसका कि प्रकाशन म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 22.2.1980 को हुआ) इस आदेश के खंड 18 के उपखंड (एफ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने नीचे दी गई सारिणी के कॉलम 2 में वर्णित अधिकारियों को इस खंड के शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कॉलम (3) की समवर्ती इंद्राज में विनिर्दिष्ट अधिकारिताओं की सीमाओं में, अधिकृत किया।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी	अधिकारिता
1.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालक, म.प्र.	संपूर्ण राज्य
2.	उप संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, म.प्र.	,,
3.	सहायक संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, म.प्र.	,,
4.	संभागों के आयुक्त	उनके संबंधित संभागों की सीमाओं के भीतर

Scanned by CamScanner

5.	कलेक्टरगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
6.	अतिरिक्त कलेक्टरगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
7.	सहायक कलेक्टरगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
8.	डिप्टी कलेक्टरगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
9.	अनुविभागीय अधिकारीगण	उनके संबंधित उप संभागों की सीमाओं के भीतर
10.	खाद्य अधिकारी/खाद्य नियन्त्रक	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
11.	तहसीलदार गण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
12.	नायब तहसीलदार गण	उनके संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
13.	सहायक खाद्य अधिकारीगण/सहा.खाद्य नियंत्रकगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
14.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षकगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
15.	सहायक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षकगण	उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
16.	सभी पुलिस अधिकारीगण एवं उपनिरीक्षकगण की श्रेणी से ऊपर वाले	उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
17.	क्षेत्रीय परिवहन निरीक्षकगण (उपनिरीक्षक पुलिस की श्रेणी के)	उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
18.	क्षेत्रीय परिवहन उपनिरीक्षक (उपनिरीक्षक पुलिस की श्रेणी के)	उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
19.	संभागों के अतिरिक्त आयुक्तगण	उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर

2. सहकारी समितियों की खंड 13 से मुक्ति— म.प्र. शासन ने म.प्र. शासन केरोसिन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश, 1979 के खंड 13 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से म.प्र. राज्य की सभी सहकारी समितियों को मुक्त किया है इस बाबत मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 22.2.80 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 7551-4961-29-द्यद्य-79 दिनांक 19.12.79 अवलोकनीय है।

3. खेरची दुकानदारों को आदेश की अप्रयोज्यता— खेरची दुकानदार जो कि नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्रों की निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। यदि 200 लीटर की मात्रा से अधिक एवं वह व्यापारीगण जो इसके तहत नहीं आते हैं, यदि 400 लीटर से अधिक केरोसिन का संग्रह नहीं करते है, तो उन्हें इस आदेश के प्रावधान प्रयोज्य नहीं होंगे । इस बाबत म.प्र. सरकार ने आदेश क्रमांक 6474-3898-29(1) 80 दिनांक 28.10.1980 जारी किया है, जिसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग दिनांक 31.10.1980 को किया गया। इस आदेश के द्वारा म.प्र. शासन ने इसके विभागीय आदेश क्रमांक 1424-4961-ii-79 दिनांक 15.3.1980 का दमन करते हुए एवं केरोसिन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश, 1979 के खंड 19 की शक्तियों को प्रयोग से लाते हुए पारित किया है।

4. उचित मूल्य की दुकानों (शासकीय) में नियोजित व्यक्तियों पर अप्रयोज्यता— म.प्र. के

Scanned by CamScanner

रोसिन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश, 1971 के खंड 19 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर विक्रय अथवा विक्रय के लिए भंडारण एवं भंडारण में नियोजित सभी व्यक्तियों को जो कि ऐसा करने के लिए शासन द्वारा अथवा इसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा इसकी ओर से अधिकृत किए गए हैं। इस आदेश के खंड 3 व 4, 6 एवं 13 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से मुक्ति प्रदान की है।

इस बाबत मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 7555-4961-29-ii-79 दिनांक 19.12.1979 जो कि म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 22.2.1980 पर प्रकाशित है, जारी की है।

5. संदेह का लाभ— अभियुक्त के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3/7 म.प्र. केरोसिन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश, 1979 के खंड (3) के अधीन अपराध कारित किए जाने बाबत अभियोजन किया गया था। केरोसिन के कब्जे बाबत कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं थी। अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। **(अशोक बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1989(2) म.प्र.वी.नो. 181 म.प्र. उच्च न्यायालय)**

6. अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन— अभियुक्त के विरुद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किए जाने का आरोप था। इस प्रकरण में अंतिलंघन की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया गया कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिलंघन किया जाना केरोसिन व्यापारी अनुज्ञप्ति आदेश, 1979 का अतिलंघन होना माना जायेगा। **(चंदू लाल चौरसिया बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 1989 करेंट क्रिमिनल जजमेंट 152)**

7. पंचसाक्षी— केरोसिन तेल के बिंदु पर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिमत का उल्लेख किया जाना यहाँ अप्रसांगिक नहीं होगा। यह अभिमत निम्नानुसार है:

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप यह था कि उनके द्वारा केरोसिन तेल का विक्रय नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया गया। इस प्रकरण में प्रस्तुत पंचनामा को साक्षी पेशेवर पंचनामा साक्षी था। इस तरह की साक्ष्य वह अनेक प्रकरणों में दे चुका था। अनेक प्रकरणों में इसकी इस प्रकार की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना था। ऐसा पंचनामा साक्षी की परिसाक्ष्य त्यक्त किए जाने की श्रेणी में मानी गयी। **(चंदर चांगलमल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1993 (1) क्राईम्स 265 बंबई उच्च न्यायालय)**

8. अभियुक्त द्वारा केरोसिन तेल का विक्रय अप्रमाणित-प्रभाव— अभियुक्त के विरुद्ध आरोप यह था कि उसके द्वारा अधिक मूल्य पर केरोसिन तेल का विक्रय किया था। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। इस प्रकरण में अभियोजन द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जा सका कि अभियुक्त करोसिन तेल विक्रय के व्यवसाय में रत था। अभियुक्त द्वारा संव्यवहार की निरंतरता को भी प्रमाणित नहीं किया जा सका। अभियुक्त की दोषसिद्धि अपास्त की गयी। **(चंदर चांगलमल बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1993 (1) क्राईम्स 266 बंबई उच्च न्यायालय)**

---

(8) छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979

अधिसूचना क्र. एफ-10-6/2002/खाद्य/29/262 दिनांक 1 फरवरी, 2002, विधियों के अनुकूलन आदेश 2002 के द्वारा नवम्बर 2000 के प्रथम दिवस संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में **''मध्यप्रदेश केरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979.''** को प्रयोज्य किया गया है। इस आदेश में जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश शब्द आया है उसके स्थान पर ''छत्तीसगढ़''होना समझा जाए। इस पुस्तक में इस आदेश को विस्तृत रुप में ''मध्य प्रदेश'' के संबोधन के साथ दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में इस आदेश में जहाँ ''म.प्र.'' शब्द आया है उसे ''छत्तीसगढ़ ''माने। इसको छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-2-2002 पृष्ठ 57-58 पर प्रकाशित किया गया है।

Scanned by CamScanner